राजस्थान उच्च न्यायालय

जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 20295/2024

शिवांगी पाठक पुत्री तेज प्रकाश पाठक, उम्र लगभग 22 वर्ष, निवासी डी-226 सुशांत सिटी, पाली रोड, जोधपुर।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर इसके अध्यक्ष के माध्यम से।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।

----प्रतिवादीगण

संबंधित

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 75/2025, संख्या 20456/2024, संख्या 20541/2024, संख्या 20580/2024, संख्या 20586/2024, संख्या 20598/2024 और संख्या 20611/2024

याचिकाकर्ताओं) के लिए	:	श्री प्रवीण व्यास श्री जितेन्द्र सिंह भालेरिया श्री लक्ष्मण सिंह जोधा
प्रतिवादीगण के लिए	:	श्री राज सिंह भाटी श्री ऋतु राज सिंह भाटी - एजीसी श्री खेत सिंह राजपुरोहित - आरपीएससी

(इस मामले में डी.बी. एसएडब्ल्यू/244/2025 दायर किया गया है। कृपया आगे के आदेशों के लिए उसे देखें)

माननीय न्यायाधिपति श्रीमान् अरुण मोंगा

निर्णय (मौखिक)

15/01/2025

1. हाल ही में विधि स्नातक हुए याचिकाकर्ता इस न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीगण को सहायक अभियोजन अधिकारी (एपीओ) के पद के लिए चयन प्रक्रिया में उन्हे भाग लेने की अनुमति देने हेतु एक उचित रिट या निर्देश जारी करने की मांग कर रहे हैं, जो एक दशक के लंबे अंतराल के बाद आयोजित की जा रही भर्ती प्रक्रिया है। उनके ऑनलाइन आवेदन इस शर्त पर अनंतिम रूप से स्वीकार किए गए थे कि वे 19.01.2025 को निर्धारित प्रारंभिक परीक्षा की तिथि तक अपनी विधि की डिग्री प्राप्त कर लें। अपने आवेदन जमा करने और प्रारंभिक परीक्षा के बीच की अंतरिम अवधि में, याचिकाकर्ताओं ने अपनी विधि की डिग्री सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। हालाँकि, अपने आवेदन जमा करने के समय, वे अभी भी अपनी अंतिम विधि परीक्षा की प्रतीक्षा कर रहे छात्र थे।

2. इस साझा निर्णय के तहत, उपरोक्त विस्तृत/संख्यांकित आठ याचिकाओं के समूह का एक साथ निर्णय किया जा रहा है क्योंकि उनमें समान तथ्य और मुद्दे शामिल हैं। संक्षिप्तता के लिए, तथ्य और विवरण सबसे प्रारंभिक रिट याचिका, जिसका क्रमांक एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 20295/2024 है, से लिए गए हैं।

3. विवाद के न्यायनिर्णयन के उद्देश्य से, अनावश्यक विवरणों को छोड़कर, प्रासंगिक तथ्य यह हैं कि 07.03.2024 को राजस्थान लोक सेवा आयोग (संक्षेप में 'आरपीएससी') ने सहायक अभियोजन अधिकारी (संक्षेप में 'एपीओ') के 181 पदों के लिए एक विज्ञापन जारी

(इस मामले में डी.बी. एसएडब्ल्यू/244/2025 दायर किया गया है। कृपया आगे के आदेशों के लिए उसे देखें)

किया था। विज्ञापन के अनुसरण में, याचिकाकर्ता ने 18.03.2024 को अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा किया। शैक्षिक योग्यता वाले कॉलम में उसने दर्शाया कि उसका स्नातक (एलएल.बी.) परिणाम प्रतीक्षित है।

3.1 19.11.2024 को आरपीएससी ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर घोषणा की कि एपीओ पद के लिए प्रारंभिक परीक्षा 19.01.2025 को आयोजित की जाएगी। विज्ञप्ति में स्पष्ट किया गया है कि यदि उम्मीदवार अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में कोई बदलाव करना चाहते हैं तो वे 20.11.2024 से 26.11.2024 के बीच 500/- रुपये का शुल्क देकर ऐसा कर सकते हैं। यह भी स्पष्ट किया गया है कि जिन उम्मीदवारों के पास उपरोक्त पद के लिए आवश्यक निर्धारित योग्यता/अनुभव नहीं है, वे इस अवधि के दौरान अपना ऑनलाइन आवेदन वापस ले सकते हैं। ऐसा न करने पर उन्हें भविष्य की परीक्षाओं से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और धारा 217 बीएनएस के तहत संभावित अभियोजन की कार्यवाही की जाएगी।

3.2 दिनांक 29.11.2024 को आरपीएससी द्वारा एक अन्य प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई, जिसमें कहा गया कि राजस्थान अभियोजन अधीनस्थ सेवा नियम, 1978 के अन्तर्गत उन अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति देने का कोई प्रावधान नहीं है, जो निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अंतिम वर्ष में उपस्थित हो रहे हैं या जिन्होंने चयन परीक्षा की तिथि तक अपेक्षित योग्यता प्राप्त नहीं की है।

3.3 प्रेस विज्ञप्ति में आगे स्पष्ट किया गया कि उक्त भर्ती अधिसूचना के अनुक्रम में केवल वे उम्मीदवार ही इस भर्ती के लिए पात्र माने जाएंगे जिन्होंने आवेदन की अंतिम तिथि तक

आवश्यक शैक्षणिक योग्यता प्राप्त कर ली है। इसलिए, जिन उम्मीदवारों के पास आवेदन की अंतिम तिथि तक शैक्षणिक योग्यता नहीं है, उन्हें 30.11.2024 से 09.12.2024 को दोपहर 12:00 बजे के बीच अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र वापस लेना होगा। इस समय सीमा के बाद, लिंक स्वतः निष्क्रिय हो जाएगा। याचिकाकर्ता के पास ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक एलएल.बी. की डिग्री नहीं थी क्योंकि उसे अभी अपनी डिग्री की अंतिम परीक्षा में सम्मिलित होना बाकी था। उसने 22.08.2024 को आवश्यक योग्यता प्राप्त की। इसलिए यह याचिका।

4. याचिका के जवाब में, इसका विरोध मूलतः इस आधार पर किया जा रहा है कि यदि कट-ऑफ तिथि के संबंध में कोई अस्पष्टता है, तो उसे संबंधित पद के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि, अर्थात 12.04.2024, माना जाना चाहिए। इस संबंध में अशोक कुमार सोनकर बनाम भारत संघ एवं अन्य*: (2007) 4* एससीसी *54* में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर आश्रय किया गया है।

4.1 इसके अतिरिक्त, प्रत्युत्तर में यह तर्क दिया गया है कि जहाँ तक दिनांक 19.11.2024 के प्रेस विज्ञप्ति का संबंध है, उक्त प्रेस विज्ञप्ति केवल पहले से जमा किए गए आवेदन पत्र, अर्थात् नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि और लिंग में ऑनलाइन सुधार के संबंध में था। हालाँकि, विज्ञापन में निर्धारित पात्रता के संबंध में अन्य नियमों और शर्तों में कोई बदलाव नहीं किया गया था। इसके अलावा, उक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी करते समय अभ्यर्थियों को निर्देश/सलाह दी गई थी कि यदि उन्होंने आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक

विज्ञापन के अनुसार निर्धारित शैक्षणिक योग्यता/अनुभव न होने के बावजूद आवेदन जमा कर दिया है, तो वे अपने आवेदन पत्र वापस ले लें।

4.2 दिनांक 29.11.2024 की एक अन्य प्रेस विज्ञप्ति स्पष्ट रूप से उन इच्छुक उम्मीदवारों द्वारा आवेदन पत्र वापस लेने के संबंध में थी, जिनके पास आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक नियमों और विज्ञापन में निर्धारित अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता नहीं थी। स्वीकार्य रूप से, वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता ने स्वयं कहा है कि वह अपनी अंतिम वर्ष की परीक्षा दे रही थी और आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक उसके पास अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता नहीं थी। ऐसे में, दिनांक 29.11.2024 की प्रेस विज्ञप्ति को अवैध या 1978 के नियमों के किसी भी प्रावधान या दिनांक 07.03.2024 के विज्ञापन में निर्धारित पात्रता शर्तों के विपरीत नहीं कहा जा सकता।

4.3 विज्ञापन तथा संबंधित नियम कहीं भी यह निर्धारित नहीं करते है कि अंतिम वर्ष की परीक्षा दे रहे अभ्यर्थी भी ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के हकदार हैं, जबकि विज्ञापन में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि अभ्यर्थी केवल तभी आवेदन करें जब उसके पास अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता, आयु आदि हो।

4.4 चूंकि प्रासंगिक नियम प्रतियोगी परीक्षा की तिथि तक या किसी भी बाद के चरण में शैक्षणिक योग्यता में कोई छूट प्रदान नहीं करते हैं और विशेष रूप से नियमों में कोई प्रावधान भी नहीं है, इसलिए आयोग ने सही रूप से सूचित किया है कि केवल आवेदन पत्र की अंतिम तिथि तक अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों को ही पात्र माना जाएगा।

---

5. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की प्रतिद्वन्द्वी तर्कों को सुना हैं तथा संबंधित अभिवचनों तथा संलग्न अभिलेखों का अवलोकन किया है।

6. सर्वप्रथम और सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ विज्ञापन के कुछ प्रासंगिक खंडों और लागू दिशानिर्देशों का हो सकता है, जिसका अंग्रेजी अनुवादित संस्करण[1] नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है: -

"विज्ञापन

दिनांक *07.03.2024*

आवेदन प्रक्रिया

1. उक्त पद हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व सर्वप्रथम अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट ***https:rpsc.rajasthan.gov.in*** पर उपलब्ध ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के संबंध में दिये गये दिशा निर्देश, विस्तृत विज्ञापन एवं संबंधित सेवा नियमों का अध्ययन अवश्य कर लेना चाहिए। इसके पश्चात ही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करें। आयोग की वेबसाइट पर आवेदकों के लिए उपलब्ध निर्देश विज्ञापन का भाग माने जाएंगे।

प्रमाणपत्रों का सत्यापन***:-***

7. शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक योग्यता/अनुभव आवेदन की अंतिम दिनांक/परीक्षा दिनांक/साक्षात्कार दिनांक तक *(*जो भी विज्ञापन में उल्लिखित हो*)* अर्जित होना आवश्यक है तथा शेष सभी प्रमाण पत्र जैसे-श्रेणी/वर्ग /जाति /अनुसूचित क्षेत्र श्रेणी *(*सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियमानुसार निर्धारित प्रपत्र में प्रमाण-पत्र*)*, आयु *(*आयु की गणना हेतु सैकण्डरी परीक्षा प्रमाण-पत्र*)*, उत्कृष्ट खिलाड़ी *(*आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध दिशा-निर्देशानुसार प्रमाण पत्र*)*, विकलांगता *(*सम्पूर्ण भारत वर्ष के किसी भी राज्य के सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी *40* प्रतिशत या उससे अधिक का विकलांगता प्रमाण-पत्र जिसमें निःशक्तता की श्रेणी का स्पष्ट उल्लेख हो*)*, राज्य कर्मचारी, गैर राजपत्रित कर्मचारी मंत्रालयिक कर्मचारी, विभागीय कर्मचारी इत्यादि नियमानुसार जारी होना आवश्यक है।"

*(*बल दिया गया*)*

1 जैसा कि याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत

"**दिशानिर्देश** *08.08.2024* तक *(*आरपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार*)*

2. पद हेतु पात्रता, परिवीक्षा, वेतनमान एवं नियुक्ति हेतु अपात्रता के संबंध में सामान्य दिशानिर्देश:-

शैक्षणिक योग्यता और अनुभव:-

आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में उल्लिखित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव अभ्यर्थियों द्वारा विज्ञापन में निर्दिष्ट तिथि तक अर्जित किया जाना चाहिए।

बशर्ते कि कोई व्यक्ति जो पाठ्यक्रम की अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हुआ हो या उपस्थित हो रहा हो, जो सीधी भर्ती के नियमों या अनुसूची में उल्लिखित पद के लिए अपेक्षित शैक्षिक योग्यता है, वह पद के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा।

किन्तु जहाँ चयन दो चरणों अर्थात् लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से किया जाना है, वहाँ मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पहले *(*जैसे आरएएस-आरटीएस और ए.एन. परीक्षा*)*

जहाँ चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से किया जाता है, साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले *(*जैसे सहायक आचार्य कॉलेज शिक्षा/ चिकित्सा शिक्षा विभाग*)*

जहां चयन केवल लिखित परीक्षा या केवल साक्षात्कार के माध्यम से किया जाता है, जैसा भी मामला हो, लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा *(*केवल लिखित परीक्षा के माध्यम से भर्ती के लिए उदाहरण के लिए प्रोफेसर स्कूल शिक्षा और वरिष्ठ शिक्षक / केवल साक्षात्कार के माध्यम से भरे जाने वाले पद*)*।"

*(*बल दिया गया*)*

7. उपरोक्त विज्ञापन के बाद दिशानिर्देशों के साथ दिनांक 19.11.2024 को एक शुद्धिपत्र जारी किया गया, जिसका अंग्रेजी अनुवाद[2] इस प्रकार है:-

2 जैसा कि याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रदान किया गया है

"प्रेस-नोट

दिनांक: *19.11.2024*

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

आयोग द्वारा सहायक अभियोजन अधिकारी गृह विभाग *(*अभियोजन*)* प्रतियोगी *(*प्रारंभिक*)* परीक्षा, *2024* का आयोजन दिनांक *19.01.2025* को करवाया जाना प्रस्तावित है।

उक्त परीक्षा हेतु जारी विज्ञापन में उल्लेखित शर्तों अनुसार दिनांक *20.11.2024* से *26.11.2024* तक अभ्यर्थी अपने फोटो, पिता का नाम, जन्म तिथि व लिंग के अतिरिक्त अन्य संशोधन ऑनलाइन करने का अवसर प्रदान किया जा रहा है। संशोधन चाहने वाले अभ्यर्थी ई-मित्र/ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से रु. *500/-* शुल्क जमा कराते हुए आयोग के ऑनलाइन पोर्टल *https://rpsc.rajasthan.gov.in* पर उपलब्ध *Apply Online Link* अथवा *SSO Portal* से *Login* कर *Citizen Apps (G2C)* में उपलब्ध *Recruitment Portal* का चयन कर संबंधित परीक्षा के आवेदन में ऑनलाइन संशोधन कर सकते हैं।

उक्त परीक्षा हेतु केवल ऑनलाइन संशोधन के विकल्प का ही प्रयोग करें। ऑफलाइन संशोधन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। उपरोक्त ऑनलाइन संशोधन का अवसर अभ्यर्थियों के हितार्थ सुविधामात्र है। संशोधन परीक्षा हेतु जारी विज्ञापन में उल्लेखित पात्रता की शर्तों के अनुरूप ही मान्य होंगें। विज्ञापन की शर्तें पूर्वानुसार ही रहेंगी। उपरोक्त संशोधन के संबंध में किसी प्रकार की तकनीकी कठिनाई होने पर *recruitmenthelpdesk@rajasthan.gov.in* पर ई-मेल से अथवा फोन नं. *9352323625* व *7340557555* पर संपर्क कर सकते हैं।

साथ ही जिन अभ्यर्थियों ने विज्ञापन के अनुसार निर्धारित शैक्षणिक योग्यता/अनुभव धारित नहीं होने के कारण भी ऑनलाइन आवेदन किए हैं, ऐसे अभ्यर्थियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा *217* के अंतर्गत आयोग की आगामी भर्ती परीक्षा से वंचित करने की कार्यवाही की जा सकती है। अतः ऐसे अभ्यर्थी भी दिनांक *20.11.2024* से *28.11.2024* तक *SSO Portal* पर *Login* कर *Recruitment Portal* का चयन कर *My Recruitment Section* के अंतर्गत संबंधित परीक्षा के सामने उपलब्ध *Withdraw Button* पर क्लिक कर अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र वापस *(Withdraw)* कर सकते हैं।"

8. आरपीएससी द्वारा दिनांक 29.11.2024 को एक अन्य शुद्धिपत्र जारी किया गया, जिसका अंग्रेजी अनुवाद[3] इस प्रकार है:-

> "दिनांक*: 29.11.2024*
>
> आयोग द्वारा गृह *(*अभियोजन*)* विभाग के लिए सहायक अभियोजन अधिकारी *(Assistant Prosecution Officer)* के कुल *181* पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन संख्या *19/2023-24* दिनांक *07.03.2024* को राजस्थान अभियोजन अधीनस्थ सेवा नियम*, 1978* के अन्तर्गत जारी किया गया था। उक्त सेवा नियम में शैक्षणिक योग्यता निम्नानुसार है *:-*
>
> *1.* भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री या एकीकृत विधि पाठ्यक्रम।
>
> *2.* देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी का व्यावहारिक ज्ञान तथा राजस्थानी बोलियों और राजस्थान के सामाजिक रीति-रिवाजों का ज्ञान।
>
> उक्त सेवा नियम में शैक्षणिक योग्यता के अंतिम वर्ष में प्रवेशरत होने वाले */* हो चुके अभ्यर्थियों हेतु परीक्षा की तिथि तक शैक्षणिक योग्यता अर्जित कर लेने संबंधी प्रावधान विहित नहीं है।
>
> उक्त भर्ती विज्ञापन के बिंदु के क्रम में पुनः स्पष्ट किया जाता है कि इस भर्ती के तहत आवेदन की अंतिम तिथि तक शैक्षणिक योग्यता अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को ही पात्र माना जाएगा। अतः जो अभ्यर्थी आवेदन की अंतिम तिथि तक शैक्षणिक अर्हता नहीं रखते हैं, वे अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक *30.11.2024* से दिनांक *09.12.2024* को रात्रि *12:00* बजे तक वापस *(Withdraw)* प्रत्याहारित करे। उक्त दिनांक के पश्चात लिंक स्वतः ही निष्क्रिय हो जाएगा।*"*

9. मामले के गुण-दोष और लिए गए प्रतिद्वन्द्वी रुख पर आगे बढ़ने से पहले, यह ध्यान रखना प्रासंगिक होगा कि इस न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 10.12.2024 के माध्यम से नोटिस जारी करते समय निम्नलिखित टिप्पणी की गई थी :-

3 जैसा कि याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रदान किया गया है

“ प्रथम दृष्टया सहायक अभियोजन अधिकारी के पद पर चयन के लिए प्रतिवादीगण द्वारा विज्ञापित आवेदन प्रक्रिया के खंड *11* में अस्पष्टता प्रतीत होती है, जिस पर विचार किए जाने की आवश्यकता है।

नोटिस जारी करें।

स्थगन के संबंध में भी नोटिस जारी करें।

नामित अधिवक्ताओं के माध्यम से तामील करने की स्वतंत्रता प्रदान की जाती है

श्री के.एस. राजपुरोहित प्रतिवादी - आरपीएससी की ओर से नोटिस स्वीकार करते हैं और जवाब दाखिल करने के लिए समय चाहते हैं। इसे *07.01.2025* को सूचीबद्ध करें।

अनुपूरक सूची में दिखाया जाए।

इस बीच, सुनवाई की अगली तारीख तक, प्रतिवादीगण द्वारा याचिकाकर्ताओं की अभ्यर्थिता के संबंध में कोई जल्दबाजी वाला कदम नहीं उठाया जाएगा।”

10. तदनुसार, प्रतिद्वंदी तर्कों को सुनने के बाद, यद्यपि प्रतिवादी का यह रुख है कि इसमें कोई अस्पष्टता नहीं है, फिर भी उपरोक्त विज्ञापन को शुद्धिपत्र के दिशानिर्देशों के साथ ध्यानपूर्वक और गहराई से पढ़ने पर पता चलता है कि उक्त रुख पूरी तरह से विरोधाभासी है। यह रुख केवल दिखावे के लिए अपनाया गया है। एपीओ के पद पर भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता का वर्णन करने वाले लागू नियमों पर भी आश्रय किया गया है, जो इस प्रकार हैं:-

“12. शैक्षणिक योग्यताएं***:-***

अनुसूची-*I* में सूचीबद्ध पदों पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए:-

(i) अनुसूची-*I* के कॉलम *4* में दी गई योग्यता और अनुभव;

(ii) देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी का व्यावहारिक ज्ञान और राजस्थान की बोलियों और राजस्थान के सामाजिक रीति-रिवाजों का ज्ञान।

संशोधित अनुसूची-*I*, कॉलम-*4* इस प्रकार है:-

अनुसूची-*I*

क्र. स.	पद का नाम	प्रतिशत के साथ भर्ती की पद्धति	न्यूनतम योग्यता	पद जिससे पदोन्नति की जानी है	पदोन्नति के लिए न्यूनतम योग्यता और अनुभव	टिप्पणी
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
1.	सहायक अभियोजन अधिकारी	*100%* सीधी भर्ती द्वारा	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से विधि स्नातक (वृत्तिक) या एकीकृत विधि पाठ्यक्रम।			

11. उपरोक्त विवरण के अवलोकन से निस्संदेह स्पष्ट रूप से यह प्रकट होता है कि चयन प्रक्रिया में भाग लेने हेतु किसी उम्मीदवार की पात्रता निर्धारित करने के लिए उसके पास विधि में स्नातक की डिग्री होना आवश्यक है। उस सीमा तक कोई विवाद नहीं है। हालाँकि, आरपीएससी द्वारा अपनाए गए विरोधाभासी रुख के कारण जो समस्या जटिल हो गई है, वह उपरोक्त योग्यता की डिग्री उत्तीर्ण करने की अंतिम तिथि के संबंध में है।

12. इसकी शुरुआत उस समय से मानी जा सकती है जब अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने को कहा गया था। अगर आरपीएससी चाहता कि केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र भरने का मौका मिले जिनके पास ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि तक डिग्री हो, तो उस स्थिति में उसे अभ्यर्थियों को अंतिम परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कॉलम पर क्लिक करने और शुल्क स्वीकार करने का विकल्प नहीं देना चाहिए

था। इस बात से पूर्णतः अवगत होते हुए कि अभ्यर्थी के पास डिग्री नहीं है, उसने उसे बिना किसी वचनबंध (undertaking) या घोषणा के फॉर्म भरने की अनुमति दे दी कि आवेदन की तिथि तक उसे डिग्री मिली है या नहीं।

13. दूसरी ओर, यह विकल्प प्रदान किया गया था कि अभ्यर्थी यह क्लिक करे कि क्या वह उक्त तिथि तक उसके पास डिग्री थी या वह अंतिम परीक्षा में सम्मिलित हो रहा था। इस प्रकार, उम्मीदवारों की दो श्रेणियां बनाई गईं, एक वे जिनके पास डिग्री थी और दूसरे वे जिन्होंने इसे बाद में प्राप्त करना था, लेकिन परीक्षा की तारीख और/या साक्षात्कार से पूर्व, जैसा भी मामला हो। आरपीएससी के आचरण से यह बात पुष्ट होती है जिसमें विज्ञापन के शुरुआती खंड-1 में कहा गया है कि उम्मीदवार को ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले निर्देशों का अध्ययन करना चाहिए, जो वेबसाइट यानी http:/rpsc.rajasthan.gov.in पर दिए गए हैं। वेबसाइट पर माउस के एक क्लिक से विस्तृत दिशानिर्देश खुल जाएंगे, जिनमें से प्रासंगिक को पहले ही ऊपर उद्धृत किया जा चुका है। संक्षिप्तता के लिए इसे दोहराया नहीं जा रहा है।

14. दिशानिर्देश संख्या 2 में स्पष्ट रूप से, उतने ही शब्दों में, कहा गया है कि एक व्यक्ति, जो अंतिम परीक्षा में सम्मिलित हो रहा है, पद के लिए आवेदन करने हेतु पात्र होगा। बशर्ते, जहाँ चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से किया जाता है, उस स्थिति में लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में बैठने से पहले अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

15. इसके अतिरिक्त, विज्ञापन का खंड-7 भी दिशानिर्देशों के अनुरूप है क्योंकि इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि शैक्षणिक योग्यता आवेदन की अंतिम तिथि/परीक्षा तिथि/साक्षात्कार तिथि (जो भी विज्ञापन में उल्लिखित हो) तक प्राप्त कर ली जानी चाहिए। कोई भी अभ्यर्थी, जो खंड-7 (पूर्वोक्त) को पढ़ेगा, वह इन तीनों में से अंतिम कट-ऑफ तिथि चुनेगा, क्योंकि अंतिम तिथि के बारे में कोई स्पष्टता नहीं है। आरपीएससी ने स्वयं इसे या तो आवेदन की अंतिम तिथि या परीक्षा तिथि या साक्षात्कार तिथि बताया है, खासकर जब दिशानिर्देश संख्या 2 (पूर्वोक्त) के संदर्भ में पढ़ा जाए।

16. स्वीकार्य रूप से जब 07.03.2024 को विज्ञापन जारी किया गया था, तो याचिकाकर्ता सहित अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अनुमति दी गई थी। तदनुसार, याचिकाकर्ता ने अपना आवेदन प्रस्तुत किया। प्रारंभिक परीक्षा अब 19.01.2025 को निर्धारित है। इसलिए, एक बार जब याचिकाकर्ता को ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अनुमति मिल गई, तो उसे अब आठ महीने बाद अपात्र नहीं माना जा सकता। चयन प्रक्रिया, जो विज्ञापन जारी होने के साथ शुरू हुई थी, उसमें उल्लिखित शर्तों के अनुसार पूरी होनी चाहिए। यह सुनने में भले ही अटपटा लगे, लेकिन एक बार सीटी बजने और मैच शुरू होने के बाद खेल के नियम नहीं बदले जा सकते।

17. अब अशोक कुमार सोनकर (उपरोक्त) में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर आश्रय किया गया है, जिसका प्रासंगिक अंश नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है: -

> "6. विज्ञापन या संदर्भ में इस संबंध में निर्दिष्ट किसी भी तिथि के अभाव में अंतिम तिथि क्या होनी चाहिए, यह प्रश्न अब प्रासंगिक नहीं रह गया है। जैसा कि आगे की चर्चाओं से स्पष्ट है, यह आवेदन दाखिल करने की अंतिम तिथि

होगी। यह प्रश्न, अन्य बातों के साथ-साथ, इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष अशोक कुमार शर्मा एवं अन्य बनाम चंदर शेखर एवं अन्य मामले में विचारार्थ आया, जिसमें न्यायमूर्ति थॉमेन ने स्वयं की और न्यायमूर्ति रामास्वामी की ओर से बोलते हुए यह मत व्यक्त किया:

11. अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता का होना अनिवार्य है। इसमें कोई अनिश्चितता नहीं होनी चाहिए। यदि अनिश्चितता को बरकरार रखा गया, तो नियोक्ता के पास अयोग्य उम्मीदवारों के आवेदनों की बाढ़ आ जाएगी। इसलिए, संबंधित उम्मीदवारों की पात्रता निर्धारित करने के उद्देश्य से एक अंतिम तिथि निर्धारित की जानी चाहिए। विज्ञापन में किसी नियम या किसी विशिष्ट तिथि के अभाव में, इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून ही आवेदन दाखिल करने की अंतिम तिथि होगी।"

18. उपर्युक्त निर्णय वर्तमान मामले के तथ्यों से स्पष्ट रूप से अलग है। मेरा मानना है कि अशोक कुमार एक ऐसा मामला था जहाँ भर्ती एजेंसी द्वारा कोई कट ऑफ तिथि प्रदान नहीं की गई थी। इसलिए, यह माना गया कि ऐसी स्थिति में आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि को ही कट ऑफ तिथि माना जाएगा। यहाँ एक ऐसा मामला है जहाँ विज्ञापन में ही अंतिम तिथि प्रदान की गई है जिसमें कहा गया है कि अपेक्षित योग्यता आवेदन की अंतिम तिथि/या परीक्षा तिथि/या साक्षात्कार तिथि तक अर्जित की जानी चाहिए और यह इस संदर्भ में था कि दिशानिर्देश संख्या 2 में यह परिकल्पना की गई है कि एक उम्मीदवार जो कानून(विधि) की परीक्षा के अंतिम वर्ष/सेमेस्टर में उपस्थित हो रहा था, वह ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने का हकदार था।

19. उपरोक्त सभी बातों के अतिरिक्त, ऐसा प्रतीत होता है कि आरपीएससी को अपने द्वारा अपनाए गए विरोधाभासी रुख की भ्रांति का एहसास हो गया था, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 29.11.2024 का एक शुद्धिपत्र जारी किया गया जिसमें कहा गया

था कि जिन उम्मीदवारों ने बिना डिग्री के ऑनलाइन आवेदन किया था, वे अपना आवेदन वापस ले लें, अन्यथा भारतीय न्याय संहिता की धारा 271 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। अतः, दिनांक 29.11.2024 का यह शुद्धिपत्र, दिशानिर्देशों के दिशानिर्देश संख्या 2 के आलोक में विज्ञापन के खंड-1 और खंड-7 के स्पष्ट विरोधाभास में है, जिस पर ऊपर चर्चा की जा चुकी है।

20. इस प्रकार जो स्थिति उभर कर आती है वह यह है कि आरपीएससी अपने विरोधाभासी रुख के कारण कभी नरम तो कभी गरम रुख अपना रहा है जिससे दो व्याख्याएं उत्पन्न हो रही हैं, एक तो दिशा-निर्देशों और विज्ञापन के आधार पर और दूसरी दिनांक 19.11.2024 के शुद्धिपत्र के आधार पर।

21. मैं यहाँ यह भी जोड़ना चाहूँगा कि इस मामले में यदि दो व्याख्याएं संभव हों, तो वह व्याख्या अपनानी होगी जो प्रतिभागी उम्मीदवारों के लिए अधिक हितकारी हो। तदनुसार, मेरा विचार है कि विरोधाभास का लाभ अनिवार्य रूप से अभ्यर्थियों को दिया जाना चाहिए, न कि आरपीएससी को। आरपीएससी द्वारा प्रस्तुत जवाब में लिया गया रुख स्पष्ट रूप से बाद का विचार है और न्यायिक संवीक्षा में टिकने योग्य नहीं है।

22. जहाँ तक 1978 के नियमों के नियम 12 पर किये गए आश्रय का प्रश्न है, वह भी पूरी तरह से गलत है क्योंकि उक्त नियम के तहत यह प्रावधान है कि उम्मीदवार के पास अपेक्षित योग्यता होनी चाहिए और यह 'कट-ऑफ' तिथि निर्दिष्ट नहीं करता है। 'कट-ऑफ' तिथि प्रक्रियात्मक हिस्सा होने के कारण, दिशानिर्देशों और विज्ञापन के माध्यम से तय की जानी चाहिए।

23. तदनुसार, यह माना जाता है कि वे सभी अभ्यर्थी, जो एलएल.बी. डिग्री की अंतिम परीक्षा में उपस्थित हो रहे थे, उनके ऑनलाइन आवेदन को मूल रूप से स्वीकार किया जाना सही था। आगे यह भी माना जाता है कि वे विज्ञापन के खंड-1 और 7 के साथ दिशानिर्देश संख्या 2 और 1978 के नियमों के नियम 12 के अनुसार पात्र हैं। विज्ञापन, दिशानिर्देश और नियम, तीनों को सामंजस्यपूर्ण ढंग से पढ़ा और व्याख्यायित किया जाना चाहिए। जिन अभ्यर्थियों के पास दिशानिर्देशों और विज्ञापन के अनुसार परीक्षा या साक्षात्कार की तिथि, जो भी बाद में हो, तक डिग्री होगी, उन्हें खंड-1 के साथ खंड-7 और दिशानिर्देश संख्या 2 में बताई गई बातों का लाभ दिया जाना चाहिए। इसलिए, इस सीमा तक दिनांक 19.11.2024 के शुद्धिपत्र और उसके बाद दिनांक 29.11.2024 के एक अन्य शुद्धिपत्र को पिछले विज्ञापन और दिशानिर्देश संख्या 2 के विपरीत माना जाता है और इस प्रकार यह अभ्यर्थियों पर लागू और बाध्यकारी नहीं है, जब तक कि उनके पास विज्ञापन के खंड-7 के अनुसार परीक्षा की तिथि या साक्षात्कार की तिथि (जो भी बाद में हो) तक अपेक्षित योग्यता है।

24. निष्कर्षत: :

i. आरपीएससी द्वारा जारी विज्ञापन और दिशानिर्देशों में अर्हक परीक्षा के अपने अंतिम वर्ष में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन करने की अनुमति दी गई थी, बशर्ते उन्होंने परीक्षा तिथि तक डिग्री प्राप्त कर ली हो। यह अनुमति विज्ञापन के दिशानिर्देश संख्या 2 और खंड-7 के अनुरूप और सुसंगत है। आरपीएससी द्वारा बाद में जारी

किए गए शुद्धिपत्र इन प्रावधानों का खंडन करते हैं, जिससे भ्रम की स्थिति पैदा हुई। याचिकाकर्ताओं ने प्रारंभिक दिशानिर्देशों पर भरोसा करते हुए सद्भावनापूर्वक कार्य किया।

ii. याचिकाकर्ताओं ने 19.01.2025 को होने वाली प्रारंभिक परीक्षा से काफी पहले, 22.08.2024 को ही अपेक्षित योग्यता (विधि स्नातक की डिग्री) प्राप्त कर ली है। यह विज्ञापित शर्तों का अनुपालन करता है, जिससे अभ्यर्थियों को परीक्षा से पहले योग्यता का प्रमाण प्रस्तुत करने की अनुमति देती है।

iii. खंड-7 और दिशानिर्देश संख्या 2 शैक्षणिक योग्यता आवेदन की अंतिम तिथि, परीक्षा तिथि या साक्षात्कार तिथि (जो भी लागू हो) तक प्राप्त करने की अनुमति देता है। योग्यताओं के लिए कट-ऑफ तिथि निर्धारित करने में विशिष्टता का अभाव याचिकाकर्ताओं के लिए लाभकारी है, क्योंकि उन्होंने परीक्षा से पहले ही पात्रता मानदंड पूरे कर लिए थे।

iv. आरपीएससी ने याचिकाकर्ताओं के आवेदन स्वीकार कर लिए और उन आवेदकों को भी स्पष्ट रूप से अनुमति दे दी जो अपनी अर्हक परीक्षा के अंतिम वर्ष में थे। इससे यह वैध उम्मीद पैदा हुई कि परीक्षा से पहले योग्यता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को भी पात्र माना जाएगा।

v. दिनांक 19.11.2024 और 29.11.2024 के शुद्धिपत्रों ने प्रक्रिया के बीच में ही पात्रता आवश्यकताओं में बदलाव कर दिया, जिससे मूल दिशानिर्देशों पर भरोसा करने वाले उम्मीदवारों के साथ अनुचित पक्षपात हुआ। यह प्राकृतिक न्याय और निष्पक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन है।

vi. उपरोक्त चर्चा/अवलोकन में जैसा कि उल्लेख किया गया है, यदि किसी दिशानिर्देश की दो व्याख्याएँ संभव हैं, तो अभ्यर्थियों के अनुकूल व्याख्या को ही अपनाया जाना चाहिए। व्याख्या के सिद्धांत में यह परिकल्पना की गई है कि जो व्याख्या उम्मीदवारों के हितैषी और उनकी योग्यता के अनुकूल हो, उसका ही सहारा लिया जाना चाहिए क्योंकि इससे प्रतिभाओं का एक बड़ा समूह तैयार होता है और राज्य/आम जनता की सेवा के लिए उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं के चयन हेतु स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलता है।

vii. आरपीएससी के रुख का यह असंगत परिवर्तन प्रशासनिक लापरवाही का प्रतिबिंब मात्र है, न कि एक सुविचारित नीति। अभ्यर्थियों को ऐसी त्रुटियों के कारण नुकसान नहीं उठाना चाहिए क्योंकि उनके कार्य मूल विज्ञापन के अनुरूप थे।

viii. अशोक कुमार शर्मा बनाम चंदर शेखर मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पात्रता की अंतिम तिथियों के निर्धारण में स्पष्टता और निष्पक्षता पर ज़ोर दिया है, जहाँ ऐसा प्रावधान नहीं है। वर्तमान मामले में, विज्ञापन

के खंड-7 को दिशानिर्देश 2 पूर्वोक्त के साथ पढ़ने पर वही स्पष्ट रूप से प्रदान किया गया है।

25. तदनुसार, सभी याचिकाएँ स्वीकार की जाती हैं। प्रतिवादीगण को निर्देश दिया जाता है कि वे याचिकाकर्ताओं को प्रवेश पत्र जारी करें, ताकि उन्हें आगामी प्रारंभिक परीक्षा, जो 19.01.2025 को निर्धारित है, में सम्मिलित होने की अनुमति दी जा सके। यह भी निर्देश दिया जाता है कि सीडब्ल्यूपी संख्या 75/2025: मानसी व्यास बनाम राजस्थान राज्य में याचिकाकर्ता को भी उसके पूर्व ऑनलाइन आवेदन पत्र के आधार पर परीक्षा में भाग लेने की अनुमति दी जाए, जिसे उसने बाद में 19.11.2024 के शुद्धिपत्र के अनुसरण में वापस ले लिया था, अन्य सह-याचिकाकर्ताओं के साथ समानता के आधार पर उसे प्रवेश पत्र जारी किया जाए।

26. सभी लंबित आवेदन, यदि कोई हों, निस्तारित माने जाएंगे।

(अरुण मोंगा),जे

170 से 177-ए.के. चौहान/-

क्या रिपोर्टिंग के लिए उपयुक्त हैं: हाँ/नहीं

"अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी अधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।"

Tarun Mehra

Advocate